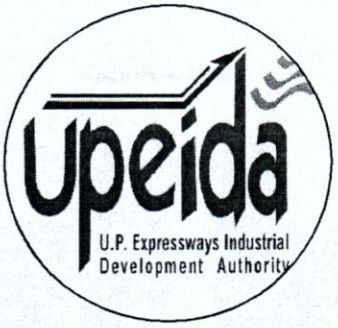

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 77वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 24.08.2022

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522. 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 24.08.2022 को सम्पन्न हुई 77वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —सदस्य/सचिव
3. श्री जय प्रकाश, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन —सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग)
4. श्री पार्थ प्रतीम मल्लिक, लेखा अधिकारी, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, —सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग)
5. श्री प्रभु नाथ, विशेष सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन —सदस्य
   (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग) (वि0सी0द्वारा)
6. श्री योगेश पवॉर, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन —सदस्य
   (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग)
7. श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, अनु सचिव, आवास बन्धु —सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन)
8. श्री राजीव कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक, —सदस्य
   उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर।
   (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक)

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्रीमती कनक त्रिपाठी, वरिष्ठ सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), यूपीडा।
3. श्री आर0आर0 सिंह, वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
4. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबन्धक, यूपीडा।
5. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री राकेश मिश्रा, मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरिडोर), यूपीडा। (वि0सी0द्वारा)
7. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरिडोर), यूपीडा।
8. श्री सलिल कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
9. श्री वहीद बक्श, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
10. श्री अरूण कुमार पाठक, मुख्य महाप्रबन्धक (विद्युत), यूपीडा।
11. श्री विनय प्रकाश, मुख्य महाप्रबन्धक, यूपीडा।
12. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा। (वि0सी0द्वारा)
13. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
14. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
15. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
16. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
17. श्री के0के0 पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
18. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।
19. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
20. श्रीमती रिचा मिश्रा, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 77वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गईः–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.07.2022 को सम्पन्न हुई 76वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गयाः–

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 76वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 24.07.2022 को सम्पन्न 76वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गयाः–

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 24.07.2022 को सम्पन्न हुई 76वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना' के ग्रुप–1 के कन्सेषनॉयर यथा मेसर्स मेरठ बदायुं एक्सप्रेसवे प्रा0लि0 के नाम में प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तन के कारण कन्सेषनॉयर के साथ निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 06.01.2022 के क्रम में अनुपूरक अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णयः– यूपीडा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (मेरठ से प्रयागराज तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड 06 लेन (08 लेन तक विस्तार योग्य एक्सप्रेसवे) के ग्रुप–01 (कि0मी0 07+900 से कि0मी0 137+600 तक) का विकास किये जाने हेतु यूपीडा द्वारा दिनांक 06.01.2022 को कन्सेशनॉयर यथा मेसर्स मेरठ बदायुं एक्सप्रेसवे प्रा0लि0 (CIN-U45309MH2022PTC374506) के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। उक्त कन्सेशनॉयर द्वारा यूपीडा को अवगत कराया गया है कि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2022 को जारी प्रमाण पत्र द्वारा मेसर्स मेरठ बदायुं एक्सप्रेसवे प्रा0लि0 का नाम परिवर्तित कर मेसर्स मेरठ बदायुं एक्सप्रेसवे लि0 (CIN-U45309MH2022PLC374506) कर दिया गया है।

यूपीडा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि उपरोक्त के क्रम में यूपीडा एवं कन्सेशनॉयर के मध्य दिनांक 06.01.2022 को हस्ताक्षरित अनुबन्ध के क्रम में एक अनुपूरक अनुबन्ध किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया हो कि उक्त अनुबन्ध में मेसर्स मेरठ बदायुं एक्सप्रेसवे प्रा0लि0 के सभी कर्तव्यों (Duties), देनदारियों (Liabilities), दायित्वों (Obligations) एवं उत्तरदायित्वों (Responsibilities) का पूर्णतः निर्वहन मेसर्स मेरठ बदायुं एक्सप्रेसवे लि0 द्वारा किया जाए

उपरोक्त के क्रम में कन्सेशनॉयर द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपूरक अनुबन्ध के आलेख्य में आवश्यक संशोधन कर यूपीडा निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त अनुपूरक अनुबन्ध निष्पादित करने हेतु यूपीडा की ओर से मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–04:–

Approval " REVISED/ REAPPROPRIATION OF APPROVED WORK PLAN FOR Rs 400.00 Cr APPROVED FOR THE CFY(2022-2023) IN RESPECT OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF UP DEFENCE CORRIDOR"

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि:–

1. The Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor (UPDIC) was announced with the aim of creating a ***world class defence manufacturing*** hub in the state as part of the "Make in India" campaign. The Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) was made the nodal agency to execute this project in conjunction with various other state agencies.
2. The GoUP vide their ***letter No 33/77-3-22-109 m/21dated 06 May 2022*** provisionaly sanctioned a sum of Rs 400.00Cr for the Infrastructure development of the defence nodes in UPDIC. As per the GFR a work plan was made and forwarded to the Govt vide this HQ letter No 1297/ UPEIDA-1871-Tech/ Def. Cor/Technical dated 21 May 2022. The same was approved by the Board of Directors, UPEIDA in the 75th Board meeting held on 08 June 2022 and the sanction accorded by the GoUP vide their letter no 725(1)/ 77-3-22-109(am)/ 21 dated 20 Jun 2022.
3. While reviewing the progress of various works in the defence corridor as also while prioritizing the works at various nodes it has been projected that a land parcel for establishment of Def Node at Agra there is an immediate need of purchasing/acquiring land costing approximately Rs 70 Cr. Since the work listed at Ser (O) , "Jhansi Boundary wall" cannot be taken up now as the Construction of Road (Ser (f)) is still awaiting govt sanction, without marking of which the boundary wall work cannot be started , more so the issue of 12ha forest land is being revisited as it may cause much delay in getting the environment clearance and the same has now been proposed for exclusion form our original layout plan, therefore the same work can be taken up in next fin year depending on the progress of various works, hence Ser(O) has been marked for ***zero amount*** AND Ser (R) has NOW been added for a sum of Rs 70Cr for "land Purchase at Agra". Also requirement of certain works/ services crop up during the execution of sanctioned work whose requirement cannot be prioritized ab-initio but are contingent to the on going works at various nodes THEREFORE a new "ser(q)" has also been introduced as "Miscellaneous/ Contingency" for an amount of Rs 20Cr
4. In view of the above a RE-APPROPRIATION Proposal including /excluding the requirements as explained above is placed for approval WITHOUT changing the Overall sanctioned amount of Rs 400 Cr as approved by the govt vide the letter at para 2 above.

S. No.	Name	Approx Amt (Cr)	Remarks
(a)	Boundary Wall Kanpur	9.5031	Work was sanctioned in the FY 21-22 vide letter No 38/2021/985/77-3-2021(M)/21 dated 30 .07.21. The contract was concluded on 30 Dec 21 however the LoA could not be proffered due to the implementation of the Model Code of Conduct. The same was issued on 29 Mar 21 and hence no Expenditure could be incurred in the last fin year. The work is progressing now at a very fast pace and the money is immediately required for clearing the RAR liability.
(b)	Boundary Wall Aligarh	6.2996	Work was sanctioned in the FY 21-22 vide letter No 45/2021/1742/77-3-2021-153(M)18 TC dated 12 Oct 21. The contract was concluded on 30 Dec 21 however the LoA could not be proffered due to the implementation of the Model Code of Conduct. The same was issued on 29 Mar 21 and hence no Expenditure could be incurred in the last fin year. The work is progressing now at a very fast pace and the money is immediately required for clearing the RAR liability.
(c)	Centre of Excellence	20.00	Money sanctioned Vide Letter no 18/2022/77-3099/59/2022/001-549-77-3-2022 dated 06 May 2022.
(d)	Revised Estimates Aligarh Road	3.405	The original work for Rs 10>2183 Cr was sanctioned vide Govt Letter No 07/2021/301/77-3-2021-153(M)/ 2018 dated 29 Jan 2021.The revision was necessitated as a result of re-alignment of road after additional land was acquired at Aligarh road post sanction of the referred work and it was decided to have a single median main road for the node rather than constructing a separate road for additionally acquired land which would definitely resulted in a much higher expenditure. The work is being progressed un-hindered as per the revised estimates considering the strategic importance of the work after due approval by the by BoDir, UPEIDA. Approval of the additional amount of Rs 3.405 Cr is an inescapable requirement and immediate sanction is solicited.
(e)	Jhansi Water Supply	19.85	The Estimates for Rs 19.8589 Cr duly vetted by the concerned auth has been submitted to the Govt vide HQ UPEIDA letter No 7909/UPEIDA/ 2021/ 1871/ Jhansi Node, Jal/Tech dated 24 Dec 2021. The surface water supply scheme is the phase I of the water supply to the 1086Ha acquired land at Erach Node Jhansi planned to be provided to the investors premises as per the Govt Commitment towards establishment of UP Def Industrial Corridor. Immediate govt sanction is an inescapable requirement lest the estimate

			require revision duly to delay and the new Market Variation in the SoR gets effected.
(f)	Jhansi Road	59.35 Rs.20.00	An approach road namely Ramnagar- Benda-Erach link road of length 16.35 Kms need to be strengthened and widened to 7.5m giving required connectivity to our defence node at Erach, Jhansi. An estimate for Rs 59.35Cr has been forwarded to Govt vide our Letter No 7060/ UPEIDA/1871/Defcor- Jhansi/ Tech dated 22 Nov 2021. Immediate sanction of the same is requested as the rate escalation might get effected due to major increase in the rates of bitumen and other petroleum products (increased MV on SoR). Any further delay may result into second revision of estimates. Scheme be administratively sanctioned for Rs. 59.35 Cr and financial approval for Rs 20 Cr in FY 22-23
(g)	Jhansi Augmentation & Storage for Zone II Water Supply	8.00	Approximate estimates for Phase II water supply scheme for Zone 2 of the Jhansi Defense Node. DPR with estimates have been asked from UPJN Jhansi Urban Division and will be forwarded for sanction.
(h)	Aligarh Node Boundary Wall for Additional Acquisition of Land	6.00	The original sanction for Rs6.29 Cr vide letter No 45/2021/1742/77-3-2021-153(M)18 TC dated 12 Oct 21 was based on 55Ha of land acquired in the beginning. However additional acquisition of about 27Ha land has necessitated requirement of additional length of boundary wall also to include 2 traffic islands, 2 gates and 2 sentry rooms, one each for either side of the Aligarh- Tappal Highway. The detailed estimates are being worked out as some more (about 12Ha) land is being proposed for acquisition considering the popularity of this node.
(i)	Police Station for 3 Nodes	42.00	The template for construction of 1X Police post and 1X Two unit Fire station has already been got approved by the PHQ from the Govt along with the PA drawings by UPRNN also these templates have been recently used for creating referred assets for Expressways. Accordingly Rs 4cr is estimated for a Police Post and Rs 10Cr for fire station both estimates include provisioning of required residential accommodation for their personnel (Type A & Type B Residential Accommodations). Hence Rs. 14(10+4) Cr in phase I and Rs 28 Cr in phase II, depending on the infrastructural development at these nodes.
(j)	Phase II Water Supply, FF, Area drainage & STP Aligarh	45.00	The Phase I water supply scheme has already been sanctioned for Rs 2.4 Cr and its nearing Completion. The scope included provisioning of 2X bore wells, 1MLD storage OHT upto rising mains and Pump houses. Now with the nodes getting populated and the investors starting their individual industry premises the Phase II will require laying of Raw/ Potable water supply

			lines, Firefighting, Sewage lines, STP and area drainage. A PFR for the same has been ascertained from UPJN as the work will be got executed as deposit work by UPJN.
(k)	Aligarh Service Main Electric Distribution	0.20	Rs 7.7 Cr was sanctioned for construction and establishment of 1X 33KVA Sub Stn with 2X 5MVA Transformers and approximately 6km of 11KV distribution line for providing electric connection to individual industries as all the investors have their projected load requirement of above 50 Kw. The requirement will now be of service mains required to feed common areas, utilities, police and fire station, electric connection to STP, area lighting etc. The rough indication of cost is as per the SoR. Work will be executed as deposit work by UPSEB.
(l)	Lucknow Electric Substation 33 Kv	27.3411	A new 33KV s/s with 2X5MVA Transformers along with 10 Km of 11Kv distribution line will be required as PhI. The detailed estimates have been prepared by UPSEB considering laying of underground line of 33 KV required for charging, since passing through population centre as also underground laying of 11 KV distribution line.
(m)	Lucknow Water Supply Phase – I	5.00	Construction of 1X 1MLD OHT with 2 Borewell and pump house. Estimates are as per the Sor. Work will be executed as deposit work by UPJN.
(n)	Lucknow 30m Road Connectivity to Kisan Path	115.00	A 30m wide road connectivity is to be provide to the node with Kisan Path and further on to the NH/Exp Way. PFR has been obtained from PWD and the work will be got executed as deposit work by PWD.
(o)	Jhansi Boundary Wall	0.00	Topological Survey of the 1086Ha land parcel is currently under progress however approximate length of the standard boundary wall has been obtained by using P line diagram over the open source google Earth map. The rough cost has been calculated as per the SoR. WILL BE TAKEN UP IN FY 2023-2024
(p)	Administrative Expenditure Including Expo and Aero Show, marketing, hiring of PMC, DTI etc.	14.00	The proposed amount include expenditure on establishment, Seminar, Expo, Conferences, Establishment of Testing infrastructure, Hiring of PMC for planning, supervision and execution of holistic work services at 4 Nodes i.e Kanpur, Jhansi, Lucknow and Chitrakoot,
(q)	Miscellaneous/ Contingency	20	To cater for minor works as contingent to the overall Infra development at Defence Nodes.
(r)	Land Purchase Agra	70	For Purchase/ acquisition of land require for establishment of Defence Node.
	Total	**431.598**	**Rs 403.598 – Ph-I, Rs 28 Cr Ph-II**

कार्यवाही / निर्णय : निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–05:– **गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति।**

वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (गंगा एक्सप्रेसवे) द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि परियोजना विकास हेतु पी.पी.पी. (टॉल) मोड पर डिजाइन, बिल्ड, फाइनेन्स, आपरेट एवं ट्रान्सफर (डी.बी.एफ.ओ.टी) पद्वति पर विकसित करने हेतु दिनांक 06.01.2022 को अनुबन्ध गठित किये जा चुके है। परियोजना के ग्रुप–01 हेतु प्रथम 129.700 किमी0 मेसर्स आई.आर.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा विकसित किया जाना है। ग्रुप–02, 03 एवं 04 हेतु 464.25 किमी0 का निर्माण मेसर्स अदानी इन्फ्राटेक लि0 द्वारा किया जाना है।

माह अगस्त (24.08.2022) तक लगभग 94% भूमि क्रय की जा चुकी है। शेष भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति में है। परियोजना में कुल 07 नं0 ROB प्रस्तावित है। सभी ROB के GAD का अनुमोदन रेलवे विभाग से प्राप्त है। फारेस्ट क्लीयरेन्स (Level-I) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8बी0/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनाँक 16.06.2022 द्वारा प्राप्त हो चुकी है एवं परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पहचान क्रमांक संख्या EC22A034UP189577 dt. 13.07.2022 द्वारा प्राप्त हो चुकी है।

इन्डीपेन्डेन्ट इन्जीनियर की नियुक्ति हेतु वित्तीय बिड दिनांक 17.08.2022 को निविदा समिति के समक्ष खोली जा चुकी हैं। चयनित संस्थाओं को कार्य के स्वीकृति पत्र निर्गत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। Joint Survey का कार्य (कान्सेसनायर, इन्डीपेन्डेन्ट इन्जीनियर एवं यूपीडा पी0आई0यू0 द्वारा) पूर्ण कर लिया गया है। Joint memorandum तैयार किया जा रहा है। माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह से कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भावित है।

निर्माण पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत विकासकर्ताओं द्वारा क्लीयरिंग एवं ग्रविंग का कार्य किया जा रहा है। जिसकी अद्यतन प्रगति निम्नवत् है–

क्र0 सं0	ग्रुप संख्या	विकासकर्ता का नाम	क्लीयरिंग एवं ग्रविंग की अद्यतन प्रगति
1	I (चैनेज 7+900 से 137+600) ल0–129.7 कि0मी0	मेरठ–बदायूँ एक्सप्रेसवे लि0	77.22%
2	II (चैनेज 137+600 से 289+300) ल0–151.640 कि0मी0	बदायूँ–हरदोई रोड प्रा0लि0	70.30%
3	III (चैनेज 289+300 से 445+000) ल0–155.600 कि0मी0	हरदोई–उन्नाव रोड प्रा0लि0	53.36%
4	IV (चैनेज 445+000 से 601+847) ल0–156.847 कि0मी0	उन्नाव–प्रयागराज रोड प्रा0लि0	53.65%

कार्यवाही/ निर्णय : निदेशक मण्डल द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–2 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–2 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–07:– **आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–4 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–4 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–5 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–5 के Arbitration Case की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–09:– **यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड/निर्देशक मण्डल की बैठक दिनांक 24.08.2022 हेतु बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–10:– **मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्यतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 18.08.2022 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण।**

यूपीडा के विधि सलाहकार द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित कुल वादों की संख्या–383 में से निस्तारित वादों की संख्या–247 तथा लम्बित वादों की संख्या–136 है एवं 04 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना शेष है तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित वादों की संख्या–274 में से निस्तारित वादों की संख्या 189 तथा लम्बित वादों की संख्या 85 है एवं 02 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना शेष है।

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदनः–**

1. **संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जानाः–**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना हैः–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवाविस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या/तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2022	06 माह	25.01.2023	सं0–3272/यूपीडा/1411/19/ अधि0 दिनांक 25.07.2022
2.	श्री दयाराम यादव	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2022	02 माह	30.09.2022	सं0–3363/यूपीडा/1084/19/ अधि0 दिनांक 27.07.2022
3.	श्री अश्विनी कुमार राय	फारेस्टर	28.06.2022	06 माह	28.12.2022	सं0–3379/यूपीडा/2294/21/ अधि0 दिनांक 27.07.2022
4.	श्री राजा राम यादव	फारेस्टर	28.06.2022	06 माह	28.12.2022	सं0–3379/यूपीडा/2294/21/ अधि0 दिनांक 27.07.2022
5.	श्री राजकेश्वर सिंह	फारेस्टर	28.06.2022	06 माह	28.12.2022	सं0–3379/यूपीडा/2294/21/ अधि0 दिनांक 27.07.2022
6.	श्री राजा राम मौर्या	फारेस्टर	28.06.2022	06 माह	28.12.2022	सं0–3379/यूपीडा/2294/21/ अधि0 दिनांक 27.07.2022
7.	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव	फारेस्टर	28.06.2022	06 माह	28.12.2022	सं0–3379/यूपीडा/2294/21/ अधि0 दिनांक 27.07.2022
8.	श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह	फारेस्टर	28.06.2022	06 माह	28.12.2022	सं0–3379/यूपीडा/2294/21/ अधि0 दिनांक 27.07.2022
9.	श्री अर्पित अवस्थी	मीडिया सहायक	07.07.2022	06 माह	07.01.2023	सं0–3433/यूपीडा/1776/20/ अधि0 दिनांक 28.07.2022
10.	श्री शम्स आजाद	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2022	06 माह	25.01.2023	सं0–3491/यूपीडा/1395/19/ अधि0 दिनांक 01.08.2022
11.	श्री राजमणि यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.08.2022	02 माह	18.10.2022	सं0–3649/यूपीडा/1082/18/ अधि0 दिनांक 05.08.2022
12.	श्री अभिमन्यु कुमार यादव	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2022	02 माह	30.09.2022	सं0–3648/यूपीडा/1641/20/ अधि0 दिनांक 05.08.2022
13.	श्री उमाकान्त कुलश्रेष्ठ	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2022	03 माह	31.10.2022	सं0–3645/यूपीडा/1642/20/ अधि0 दिनांक 05.08.2022
14.	श्री के0एन0 निगम	लेखाकार कम कैशियर	24.07.2022	02 माह	24.09.2022	सं0–3651/यूपीडा/1083/18/ अधि0 दिनांक 05.08.2022
15.	श्री भूप नारायण	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2022	03 माह	31.10.2022	सं0–3647/यूपीडा/1640/20/ अधि0 दिनांक 05.08.2022
16.	श्री उमा शंकर सिंह	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2022	06 माह	25.01.2023	सं0–3653/यूपीडा/1380/19/ अधि0 दिनांक 05.08.2022
17.	श्री पूणेन्दु बाजपेई	कनिष्ठ अधिवक्ता	04.06.2022	06 माह	04.12.2022	सं0–3652/यूपीडा/2269/21/ अधि0 दिनांक 05.08.2022
18.	श्री श्याम शंकर शुक्ल	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	11.06.2022	06 माह	11.02.2023	सं0–3772/यूपीडा/261/14/ अधि0 दिनांक 10.08.2022
19.	श्री राम प्रकाश	राजस्व निरीक्षक (डिफेन्स कॉरिडोर)	30.06.2022	06 माह	30.12.2022	सं0–3783/यूपीडा/2285/22/ अधि0 दिनांक 10.08.2022
20.	श्री केदार यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.08.2022	06 माह	18.02.2023	सं0–3787/यूपीडा/1088/18/ अधि0 दिनांक 11.08.2022
21.	श्री फूल सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	13.08.2022	06 माह	13.02.2023	सं0–3836/यूपीडा/1218/19/ अधि0 दिनांक 16.08.2022

2. यूपीडा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम जिनकी सेवा समाप्त की गयी है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 77 वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 24.08.2022 में प्राप्त किया जाना है, विवरण निम्नवत् हैः–

यूपीडा में संविदा पर तैनात निम्न अधिकारियों की संविदा सेवायें यूपीडा में आवश्यकता आकलन एवं आवश्यकता न पाये जाने पर उक्त तिथि से सेवा का विस्तार नहीं किया गया है तथा प्राप्त शिकायतों/70 वर्ष की आयु होने के आधार पर संविदा सेवायें समाप्त की गयी।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	सेवा समाप्ति की तिथि	सेवा समाप्ति आदेश संख्या
1	श्री कौशल कुमार यदव	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.07.2022	सख्या–3361/यूपीडा/2400/22 अधि0 दिनांक 27.07.2022
2	श्री कृष्ण कुमार वाजपेयी	सहायक सुरक्षा अधिकारी	28.07.2022	सख्या–3431/यूपीडा/2368/22 अधि0 दिनाक 28.07.2022
3	श्री सालिक राम वर्मा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.08.2022	संख्या–3781/यूपीडा/2417/22 अधि0 दिनांक 10.08.2022
4	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	04.08.2022	संख्या–3625/यूपीडा/431/15/अधि0 दिनांक 04.08.2022

3. **यूपीडा के पत्रों द्वारा औद्योगिक विकास विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में संविदा पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति का अनुमोदन 77 वीं बोर्ड की बैठक 24.08.2022 में प्राप्त किया जानाः–**

यूपीडा में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्ति हेतु, यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर यूपीडा मुख्यालय एवं बुन्देलखण्ड/पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के यातायात प्रबन्धन एवं सडक सुरक्षा के कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु नियुक्ति की गयी है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 24.08.2022 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदन
1.	श्रीमती कनक त्रिपाठी	वरिष्ठ सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)	06 माह	संख्या–3770/यूपीडा/2454/22/अधि0 दिनांक 10.08.2022
2.	श्री इन्द्र बहादुर सिंह	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	06 माह	संख्या–3362/यूपीडा/2400/22/अधि0 दिनांक 27.07.2022
3.	श्री राकेश मिश्रा	मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरिडोर)	06 माह	संख्या–2129/यूपीडा/744/22/अधि0 दिनांक 18.06.2022
4.	श्री प्रभू नाथ यादव	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	संख्या–3432/यूपीडा/2368/22/अधि0 दिनांक 28.07.2022
5.	श्री कल्लू सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	संख्या–3309/यूपीडा/2987/22/अधि0 दिनांक 01.08.2022

4. **यूपीडा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम जिनकी सेवा समाप्त की गयी है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 77 वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 24.08.2022 में प्राप्त किया जाना है, विवरण निम्नवत् हैः–**

यूपीडा में तैनात अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए इनकों पैत्रक विभाग लोक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में वापस किया गया है जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	प्रतिनियुक्ति समाप्ति की तिथि	आदेश संख्या
1.	श्री राम विलास सिंह यादव	अधिशासी अभियन्ता	03.08.2022	संख्या–3646/यूपीडा/1726/20/अधि0 दिनांक 05.08.2022
2.	श्री विशाल पाण्डेय	अधिशासी अभियन्ता	10.08.2022	संख्या–3759/यूपीडा/293/14/अधि0 दिनांक 10.08.2022

कार्यवाही/निर्णय अधिष्ठान के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये एजेण्डा बिन्दु–08 के उप बिन्दु–01, 02, 03 व 04 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना पैकेज–02 के निर्माणकर्ता के साथ निष्पादित अनुबन्ध को पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि प्रदान किये जाने एवं परियोजना पूर्ण करने के शिड्यूल–जे में परिवर्तन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना पैकेज–02 के निर्माणकर्ता के साथ निष्पादित अनुबन्ध को पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि प्रदान किये जाने एवं परियोजना पूर्ण करने के शिड्यूल–जे में परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–13:– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेष नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यों का अनुमोदन

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेष नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यों के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–14:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक।

अवगत कराना है कि सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय–व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् है:–

विभाग का नाम–उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ

(धनराशि लाख में)

	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23							
		प्राविधानित धनराशि		शासन स्तर से जारी स्वीकृति		स्वीकृति के सापेक्ष व्यय		शासन स्तर से जारी स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष	
1	2	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
1	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड) परियोजना	52,254.00		20,000.00		13,500.00		32,254.00	-
2	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	77,525.00		77,525.00		70,000.00			
4	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		50,256.00		20,423.00		12,772.00	-	29,833.00
5	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	97,661.00		97,661.00		60,000.00		-	-
6	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		59,361.00		30,972.00		15,037.00	-	28,389.00
7	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान		94,168.00		47,084.00		23,542.00	-	47,084.00
8	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	51,193.00		45,000.00		35,000.00		6,193.00	-

10	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		13,183.00		3,989.62		2,393.00	-	9,193.38
11	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	40,000.00		5,795.12		4,826.59		34,204.88	-
12	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना							-	-
	5054–03–337–09–24	44,534.00		20,000.00		10,000.00		24,534.00	-
13	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		23,200.00		9,678.90		4,839.45	-	13,521.10
	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण का भुगतान		11,154.00					-	11,154.00
15	एक्सप्रेसवे परियोजनाओ के समीप पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु है।	50,000.00						50,000.00	-
14	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु **वायबिलिटी गैप फंडिंग ,वी०जी०एफ०** धनराशि	25,000.00						25,000.00	-
	महायोग	4,38,167.00	2,51,322.00	2,65,981.12	1,12,147.52	1,93,326.59	58,583.45	1,72,185.88	1,39,174.48
		6,89,489.00		3,78,128.64		2,51,910.04		3,11,360.36	

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–15:–

यूपीडा में लेखा सम्बन्धी कार्यों के लिये साफ्टवेयर स्थापित किये जाने एवं उसे क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि यूपीडा की विभिन्न परियोजनाओं की लेखा बंदी का कार्य टैली के माध्यम से सम्पादित कराया जा रहा है। विगत कई माहों से यह अनुभव किया जा रहा हैं, कि टैली का साफ्टवेयर काफी पुराना एवं बड़ी संस्थाओं के लिये बहुत उपयुक्त न होने के कारण अपेक्षित सूचनायें एवं लेखा की यथार्थ स्थिति तत्काल उपलब्ध नही हो पाती है। साथ ही वर्तमान में विभिन्न करों की देयता एवं उनके नियमों के दृष्टिगत एक निर्धारित अवधि में अपेक्षित कार्यवाही की जानी होती है, अन्यथा की स्थिति में टैक्स संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के दण्ड आरोपित किये जाते है। टैली में इसे सुगमता से किया जाना सम्भव नही हो पाता हैं, एवं अन्य प्रकार की त्रुटियाँ भी वर्तमान साफ्टवेयर से परिलक्षित हो रही है।

यूपीडा की वृहद्व कार्य प्रणाली के दृष्टिगत बडी संस्थाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली लेखा प्रणाली के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ कि यू0पी0 इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन लि0 द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप कम्प्यूटर अप्लीकेशन साफ्टवेयर विकसित कराने का कार्य समयबद्ध एवं संतोषप्रद रूप से कराया जाता रहा है। उल्लेखनीय हैं, कि यू0पी0 इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन लि0 को शासनादेश संख्या 1518/78–आईटी–2/2002 दिनांक 16.08.2002 द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप "टर्न–की" आधार पर कम्प्यूटराइजेशन, एप्लीकेशन साफ्टवेयर विकसित कराने, नेटवर्किंग आदि कार्य हेतु अधिकृत किया गया है।

यूपीडा में वर्तमान में संचालित परियोजना के बहुआगामी कार्यो के दृष्टिगत लेखा सम्बन्धी कार्यो के लिए एक आधुनिक साफ्टवेयर (Financial Management Systems and Human Resource Management Systems) की आवश्यकता है जो विभिन्न परियोजनाओं के आय–व्यय का सम्पूर्ण विवरण एवं आवश्यक विवरण पत्र एवं सूचनाये ससमय उपलब्ध करायें। इस हेतु एक पत्र प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन लि0 (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) 10 अशोक मार्ग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित किया गया कि उक्त साफ्टवेयर के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण देने के साथ–साथ सम्भावित व्यय धनराशि रू0 80.00 लाख का सम्पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा यूपीडा में लेखा सम्बन्धी कार्यो के लिये साफ्टवेयर स्थापित किये जाने एवं उसे क्रियाशील किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–16:–

पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे पर जानवरों को पकड़ने तथा एक्सप्रेसवे के कैश बैरियर पर हुये नुकसान की रिर्पोटिंग हेतु चयनित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे पर जानवरों को पकड़ने तथा एक्सप्रेसवे के कैश बैरियर पर हुये नुकसान की रिर्पोटिंग हेतु मे0 एन0 हसन कान्ट्रैक्टर को चयनित किया गया है। अनुबन्ध के अनुसार चयनित एजेंसी द्वारा 08 वाहन प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक जानवरों को पकड़ने के लिये लगाये गये है। एजेंसी द्वारा एक्सप्रेसवे पर जानवरों के प्रवेश को रोकना तथा उन्हें पकड़ना सुनिश्चित किया जाता है।

बहुधा अप्रत्याशित कारणों से जानवरों के एक्सप्रेसवे पर आने से दुर्घटनायें भी घटित होती है, जिसके लिये अनुबन्ध के आर्टिकल 6V. में निम्नवत् प्राविधान हैः–

"In case of any accident of vehicle(s) on the Expressway caused due to stray animal(s) , a deduction of 10 % per accident shall be made from the invoice raised by the Agency for the corresponding month, subject to a maximum deduction of 25 % for the said month".

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्राविधान के अनुरूप लेखा प्रकोष्ठ, यूपीडा द्वारा एजेंसी के सर्म्पूण बीजक से प्रति दुर्घटना 10 प्रतिशत की धनराशि की कटौती की जाती है। इस सम्बन्ध में मे0 एन0 हसन कान्ट्रैक्टर द्वारा पत्र दिनांक 27.06.2022 द्वारा अनुरोध किया गया था, कि उनकी फर्म द्वारा प्रस्तुत सर्म्पूण बीजक में से उक्तानुसार दण्ड धनराशि की कटौती करने के बजाय सम्बन्धित पैकेज (जिसमें दुर्घटना घटित हो), के अन्तर्गत पकड़े गये जानवरों की धनराशि में से ही कटौती की जाये।

एजेंसी द्वारा यह भी निवेदन किया गया था कि प्रतिमाह अधिकतम 25 प्रतिशत की कटौती का प्रतिशत घटाकर प्रतिमाह अधिकतम 10 प्रतिशत का प्राविधान किया जाये। उपरोक्त के सम्बन्ध में मे0 एन0 हसन कान्ट्रैक्टर द्वारा निम्नवत अनुरोध किया गया था:–

i. That at present deductions/ penalties are made from the total amount of monthly invoice and not from the particular Expressway Package, where the accident has happened, due to stray animal. The Agency has requested that penalty due to accident caused by stray animal should be imposed at prescribed rate of 10% only from the bill raised for that particular package, instead of penalty from the total invoice for all the packages.

ii. The Agency had also requested that the penalty imposed due accidents on account of stray animals should be charged from the amount of incentives claimed (monthly) for animal catching and not from the amount of monthly lumpsum payment for deployment of vehicles.

iii. The Agency had further requested that the limit of maximum deduction be reduced from 25 % to 10 % for the said month.

निदेशक मण्डल को अग्रेत्तर अवगत कराया गया कि पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे पर जानवरों को पकड़ने तथा एक्सप्रेसवे के क्रैश बैरियर पर हुये नुकसान की रिर्पोटिंग हेतु चयनित एजेंसी के उपरोक्त अनुरोध पर विचार विमर्श हेतु अपर मुख्य कार्यपाल अधिकारी, यूपीडा के अध्यक्षता में दिनांक 04.08.2022 को आहूत बैठक में विस्तृत विचार विमर्शोपरान्त एवं प्राधिकरण की अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर जानवरों को पकड़ने तथा एक्सप्रेसवे के क्रैश बैरियर पर हुये नुकसान की रिर्पोटिंग हेतु एजेंसी के चयन में हो रही कठनाईयों यथा उक्त कार्य हेतु पर्याप्त निविदायें प्राप्त न होने एवं पर्याप्त इच्छुक एजेंसियों के न उपलब्ध होने के कारण निम्नवत संस्तुति की गयी है, जिस पर मुख्य कार्यपाल अधिकारी, यूपीडा द्वारा सहमति प्रदान की गयी है:–

a. That the penalty be imposed on account of accidents caused due to stray animals on the Expressway with prescribed rate of 10% of the amount of payment due against catching of animals in that particular package (where accident has occurred) and not from the whole amount of invoice. In the event, no monthly amount is claimed for animal catching for that particular package for the month, then in such case, penalty be adjusted at prescribe rate from the bill of other package in which maximum amount of bill raised for catching of animals.

b. While considering the relief as above, the Committee felt that the maximum deduction limit of 25 % for the said month may not be reduced to 10 %, as requested by the Agency.

c. The Committee also decided that in case each vehicle deputed by the agency in various packages does not cover the specified distance per month then, a deduction of an amount equal to cost of Diesel corresponding to the reduced distance covered on the basis of average consumption @ 15 Km per Ltr. of Diesel (the cost of Diesel to be taken at prevailing rate) shall be made.

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा, उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्शोपरान्त सहमत होते हुये पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे पर जानवरों को पकड़ने तथा एक्सप्रेसवे के कैश बैरियर पर हुये नुकसान की रिर्पोटिंग हेतु चयनित एजेंसी मे0 एन0 हसन कान्ट्रैक्टर को उपरोक्त वर्णित शिथिलतायें प्रदान किये जाने तथा उक्त शिथिलताओं को प्राधिकरण की अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिये इस कार्य हेंतु चयनित/चयन की जाने वाली एजेंसियो को उपलब्ध कराने हेतु हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु–17:–

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में सूचना।

मुख्य महाप्रबन्धक (बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे) द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि परियोजना के सभी 06 पैकेजो में माइलस्टोन–01 की निर्धारित तिथि 22.08.2020 के सापेक्ष सभी पैकेजों द्वारा पूर्व में ही प्राप्त कर लिया गया था और माइलस्टोन–02 प्राप्त करने की निर्धारित तिथि 18.07.2021 के सापेक्ष सभी पैकेजों में पहले ही प्राप्त कर ली गई थी। माइलस्टोन–03 प्राप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 18.02.2022 थी जिसे पैकेज–IV, V व III ने क्रमशः दिनांक 31.05.2021, 31.07.2021 व 30.11.2021 को तथा पैकेज–I, II व VI ने दिनांक 31.01.2022 को प्राप्त कर लिया था। पैकेज–III व IV का Provisional Completion Certificate दिनांक 01 जुलाई, 2022 व पैकेज–I, II व V का Provisional Completion Certificate दिनांक 26 जुलाई, 2022 को जारी कर दिया गया है। दिनांक 16 जुलाई, 2022 को मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया है। वर्तमान में एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–18:–

मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के द्वारा जनपद जालौन में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लोकार्पण में हुये समस्त व्यय को एजेन्सी चार्जेज के रूप में प्राप्त उपलब्ध धनराशि से भुगतान किया जाना।

निदेश मण्डल को अवगत कराया गया कि यूपीडा प्राधिकरण के लिये बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवें परियोजना को ई.पी.सी. पद्धति पर विकसित करने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0–965/77–3–2018–117 (एम)/2016 दिनांक 06.03.2018 में कुल सिविल लागत (सिविल कार्यो की अनुमानित लागत देय जीएसटी 12 प्रतिशत) धनराशि रू0 9933.86 करोड़ का 3 प्रतिशत एजेंसी चार्जेज अर्थात रू0 298.02 करोड़ के रूप में यूपीडा देय है।

वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 (माह जुलाई, 2022 तक) शासन से प्राप्त धनराशि में से यूपीडा के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय संचालन व्ययो आदि हेतु व्यय की जा चुकी धनराशि रू0 44.02 है। जिसका व्यय भार परियोजना के ''एजेन्सी चार्जेज'' मद से वहन किया जाना है, चूंकि यूपीडा को वेतन एवं गैर वेतन व्ययों हेतु अलग से धनराशि आवंटित नहीं है।

अतः परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से ही सम्बन्धित स्टाफ का वेतन तथा विविध व्यय भी परियोजना मद से किया जाना है। इस प्रकार उक्त शासनादेश के एजेन्सी चार्जेज के मद में प्राविधानित धनराशि रू0 298.02 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 254.00 करोड़ है।

मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के द्वारा जनपद जालौन में दिनांक 16.07.2022 को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में व्यय का विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि (रू0 करोड़ में)
1.	कार्यक्रम से सम्बन्धित ब्रान्डिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फ्लैक्स बोर्ड, होर्डिंग, न्यूज चैनल का प्रसारण, प्रदर्शनी, बैकड्राप गेट, लाइटिंग कटआउट आदि	7.47
2.	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह हेतु गणमान्य व्यक्तियों को जनसामान्य/श्रोताओं को समारोह स्थल तक लाने व ले जाने हेतु बसों की व्यवस्था एवं नाश्ता, लंच पैकेट, पेयजल एवं मेडिकल किट की व्यवस्था पर व्यय का भुगतान	7.26
3.	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह हेतु यातायात व्यवस्था, अस्थायी पुलिस चौकी की व्यवस्था हेतु उपकरणों एवं सामग्रियों पर व्यय का भुगतान (पुलिस अधीक्षक जालौन को भुगतान	.35
4.	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह हेतु आगमन पर जनपद जालौन में जर्मन हैंगर, मंच साज सज्जा, स्टेजिंग, टेन्ट एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु बैरीकेन्डिग एवं कार्यक्रम स्थल में सिविल निर्माण कार्य पर हुए व्यय	26.76
	योग	**41.84**

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवें के उद्घाटन समारोह में कुल व्यय का वहन यूपीडा द्वारा किया जाना है चूंकि उक्त व्यय हेतु अलग से शासन से कोई धनराशि प्राविधानित नहीं है अतः परियोजना के अन्तर्गत ''एजेंसी चार्जेज'' मद में उपलब्ध धनराशि से किया जाना है।

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–19:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में।**

मुख्य महाप्रबन्धक (बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे) द्वारा निदेश मण्डल को अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनसामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यों के लिए ई0पी0सी0 ठेकेदारों को उनके अनुबन्ध के क्लाज 13 के अन्तर्गत अनुमोदनोपरान्त अथॉरिटी इन्जीनियर द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस निर्गत की गई है–

<table>
<tr><th>क्रम सं0</th><th>पैकेज संख्या</th><th>कार्य का नाम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>V</td><td>1. In-principle approval for issuance of Negative change of scope notice as per Article 13 of EPC Contract Agreement for difference in length of Additional Chain Link fencing between Contract provision and that proposed by the contractor in Pkg-V of Bundelkhand Expressway.
AE, COS Notice letter no.- ICT:847:APM:5091 dated: 19/08/2022</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>VI</td><td>1. In-principle approval for issuance of change of scope notice as per Article 13 of Contract Agreement on account of change of Rigid Pavement to Flexible Pavement at toll plaza area as per details below:
<table>
<tr><th colspan="2">Chainage</th><th rowspan="2">Side</th><th rowspan="2">Length</th></tr>
<tr><th>From</th><th>To</th></tr>
<tr><td>286+520</td><td>286+545</td><td>LHS</td><td>25 Mtr.</td></tr>
<tr><td>286+610</td><td>286+655</td><td>LHS</td><td>45 Mtr.</td></tr>
<tr><td>286+480</td><td>286+540</td><td>RHS</td><td>60 Mtr.</td></tr>
<tr><td>286+610</td><td>286+680</td><td>RHS</td><td>70 Mtr.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>200 Mtrs.</td></tr>
</table>
AE, COS Notice letter no.- ICT:847:APM:5062 dated: 18/08/2022</td></tr>
</table>

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–20:–

यूपीडा में संचालित परियोजनाओं के कार्य हेतु संविदा पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती विषयक।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा यूपीडा में संचालित परियोजनाओं हेतु समय–समय पर परियोजनाहित में एवं निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रशासनिक विभाग (औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन) से संचालित परियोजनाओं हेतु पद सृजन का अनुरोध किया जाता रहा है एवं पद सृजन की प्रत्याशा में परियोजना के संचालन हेतु संविदा पर तैनाती की जाती रही है। वर्तमान में संविदा पर किसी पद को भरे जाने के लिये निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है एवं पद धारक को नियत अवधि एवं नियत वेतन पर अनुबंधित किया जाता है। यह अनुबंध अवधि एवं नियत धनराशि विभागीय हित में समय समय पर बढायी भी जाती है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रशासनिक विभाग (औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन) को संचालित परियोजनाओं हेतु पद सृजन हेतु निम्नलिखित पत्रों द्वारा पूर्व में अनुरोध किया गया है,

1. पत्र संख्या–550 / यूपीडा / 08 / 17 दिनांक 24.09.2009 के द्वारा 80 पद का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया, जिनमें से शासनादेश संख्या–466 / 77–3–9–94 भा / 07 टी0सी0 दिनांक 10.02.2009 द्वारा 31 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई।
2. यूपीडा के पत्रांकः–1028 / यूपीडा / 874 / 18 / अधि0 दिनांक 10.06. 2018 के द्वारा कुल 192 पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया।
3. यूपीडा के पत्रांकः–1525 / यूपीडा / 874 / अधि0 दिनांक 17.06.2019 के द्वारा 74 पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया।
4. यूपीडा के पत्रांकः–2197 / यूपीडा / 961 / नियुक्ति / 19 दिनांक 11.07. 2019 के द्वारा 02 पद की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया।
5. यूपीडा के पत्रांकः–5387 / यूपीडा / 874 / 18 / अधि0 दिनांक 19.11. 2019 के द्वारा संविदा के 13 पदों एवं आउटसोर्स के 396 पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया।
6. यूपीडा के पत्रांकः–4503 / यूपीडा / 874 / 2021 / 18 / अधि0 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा 28 पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया।
7. यूपीडा के पत्रांकः–4503 / यूपीडा / 874 / 2021 / अधि0 दिनांक 16.08. 2022 के द्वारा 01 पद की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया।

इस प्रकार यूपीडा के ऊपर अंकित पत्रों के द्वारा संविदा के कुल 390 पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष कुल 31 पदों हेतु सहमति का शासनादेश प्राप्त हो चुका है तथा शासनादेश संख्या–76 / 77–3–2021–94 भा / 07 टी सी दिनांक 25.03.2021 के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 55 पदों की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी है। शेष 304 संविदा एवं 396 आउटसोर्स के पदों की स्वीकृति शासन से प्राप्त होना अवशेष है।

वर्तमान में 105 पद कार्य आवश्यकता के आधार पर संविदा पर भरे गये है, जिनके पद सृजन का प्रस्ताव यूपीडा के प्रशासनिक विभाग (औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन) को प्रेषित नहीं किया गया था, किन्तु समय–समय पर पद विशेष का अनुमोदन निदेशक मण्डल से प्राप्त किया जाता रहा है एवं वर्तमान में यूपीडा के पत्रांक संख्या–3925/यूपीडा/874/2022 दिनांक 22 अगस्त, 2022 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–21:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे पर स्थित टोल/रैम्प प्लाजा पर लगे उपकरणों एवं यूपीडा की अन्य सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु 91 (इक्यानबे) सुरक्षा कर्मियों की स्वीकृति के संबंध में।**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि मा0 प्रधान मंत्री, भारत सरकार, द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे का लोकार्पण दिनॉक 16.07.2022 को किये जाने के उपरान्त उक्त एक्सप्रेस–वे पर वाहनों का संचालन सुचारू रूप से प्रारम्भ हो गया है।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे पर यातायात प्रबन्धन एवं सड़क सुरक्षा को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए यूपीडा द्वारा एक नोडल अधिकारी, 03 मुख्य सुरक्षा अधिकारी, 06 सुरक्षा अधिकारी, 12 सहायक सुरक्षा अधिकारी, 144 पूर्व सैनिक एवं 44 वाहन चालकों को (संविदा/आउटसोर्स के माध्यम से) नियुक्त करके 15 इनोवा वाहनों के माध्यम से यातायात प्रबन्धन/ सड़क सुरक्षा की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। वर्तमान में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे पर टोल/रैम्प प्लाजा (कुल 13) पर लगे उपकरणों एवं यूपीडा की अन्य सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु 91 (इक्यानबे) स्टैटिक सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है, जिनका प्रयोग आगामी 03 माह अथवा टोल एजेन्सी की सुरक्षा व्यवस्था स्थापित होने तक किया जाना है।

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–22:– **डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना में संविदा पर मुख्य रक्षा सलाहकार के पद को भरे जाने के संबंध में।**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि यूपीडा में डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना विगत 04 वर्षो से संचालित है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। 05 वर्षो की अवधि में रू0 50,000 करोड़ रूपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 93 आयुध निर्माता फर्मो के साथ अनुबंध सम्पादित किया जा चुका है एवं रू0 11,000 करोड़ का निवेश विगत 03 वर्षो में किया गया है। वर्तमान में डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना में 02 मुख्य महाप्रबन्धक एवं सहयोग हेतु 15 तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता है, जिसमें 08 अभियन्ता तैनात किये जा चुके है एवं 07 अभियन्ताओं की तैनाती शेष है। परियोजना को गति प्रदान करने के लिये पूर्व में वरिष्ठ रक्षा सलाहकार के पद पर ले0 जनरल0 श्री जगदीप कुमार शर्मा तैनात थे, किन्तु दिनांक 27.05.2020 से उनके कार्य से हट जाने के कारण यह पद रिक्त है। पद को वर्तमान परियोजना की आवश्यकता के दृष्टिगत पुनः भरे जाने की आवश्यकता है। अतः इस पद का तत्कालिक पदनाम मुख्य रक्षा सलाहकार करते हुये पद पर भारतीय सेना के आर्मी, नेवी एवं एयरफोर्स से सेवा निवृत्त अधिकारी, जो ले0 जनरल, उसके समतुल्य पद अथवा उससे उच्च पद से सेवा निवृत्त हो, हेतु पद को विज्ञापित किया गया है।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन एवं टोल प्लाजा के परिचालन के सम्बन्ध में टोल एजेन्सी मेसर्स सहकार ग्लोबल लि0 द्वारा यूपीडा के साथ निष्पादित अनुबन्ध के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल ने गहन चर्चा के उपरान्त टोल कलेक्शन एजेन्सी के दिनांक 29 जून, 2021 के फोर्स मेजर दावे के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा उत्तर प्रदेश पर नेशनल हाईवे पर काम कर रही टोल कलेक्शन एजेन्सियों को जिस अवधि के लिए कोविड–19 की द्वितीय लहर हेतु फोर्स मेजर दावे स्वीकृत किय गये उसी अवधि के लिए यूपीडा उक्त एजेन्सी के साथ निष्पादित कान्ट्रैक्ट अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स सहकार ग्लोबल लि0 के फोर्स मेजर दांवे का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से परीक्षण करवाकर निस्तारण करें। निदेशक मण्डल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा टोल कलेक्शन एजेन्सी के दिनांक 02 मई, 2021 से 07 जून, 2021 तक के दावे के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय की पुष्टी की तथा निर्देश दिया कि उक्त अवधि की रिलिफ के उपरान्त कुल शेष धनराशि को कान्ट्रैक्ट अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार पैनाल्टी सहित वसूल करें एवं एजेन्सी के साथ 'सैटिलमेंट–कम– क्लोजआउट एग्रीमेंट' अतिशीघ्र निष्पादित करें एवं टोल कलेक्शन एजेन्सी से शेष स्टाम्प ड्यूटी (कान्ट्रैक्ट वेल्यू का 2 प्रतिशत) रू0 16,90,03,800.00 तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रैजरी में जमा करवाने और 21 अगस्त, 2022 से 15 अगस्त, 2022 तक की बकाया धनराशि वसूलने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को अधिकृत किया।

अंत में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 24.08.2022 को सम्पन्न हुई 77वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 24.08.2022 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी